# राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति

[स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स]

भारत सरकार ने संशोधित [आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025] के तहत [राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)] को वैधानिक मान्यता प्रदान की है, जिससे यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया समन्वय के लिये **सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था** बन गई है।

## राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC) के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **संविधान: यह समिति औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय द्वारा** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 **की धारा 8A(2) के तहत गठित की गई है। इससे पहले यह बिना किसी औपचारिक वैधानिक मान्यता के अस्तित्व में थी।**
- **संरचना:** NCMC की अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** करते हैं। इसके सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव (समन्वय), कैबिनेट सचिवालय के सदस्य एवं प्रमुख और [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)] के सदस्य व विभाग प्रमुख शामिल होते हैं।
  - NCMC के अध्यक्ष **संकट की प्रकृति के अनुसार** केंद्र/राज्य सरकारों या किसी भी संगठन से विशेषज्ञों या अधिकारियों को नामित कर सकते हैं।
- **मुख्य कार्य: NCMC देश की आपदा तैयारी का आकलन करता है और उसे मज़बूत करने के लिये दिशा-निर्देश जारी करता है।**
  - यह केंद्र एवं राज्य सरकारों, **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और अन्य एजेंसियों के प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय तथा निगरानी करता है, ताकि पूरे देश में सुचारु व एकीकृत आपदा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

## आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2025

- **आपदा प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2025** का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों तथा समितियों के बीच स्पष्टता एवं समन्वय स्थापित करना है।
- यह अधिनियम पहले से मौजूद प्रमुख निकायों जैसे **राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC)** और **उच्च स्तरीय समिति** को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- यह अधिनियम **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** और **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA)** को सीधे राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा योजनाएँ तैयार करने का अधिकार देता है, जो पहले **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC)** तथा **राज्य कार्यकारी समितियों (SEC)** द्वारा की जाती थीं।
- यह अधिनियम राज्य की राजधानियों और बड़े नगरपालिका शहरों में **शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA)** की स्थापना का प्रावधान करता है तथा राज्यों को अपनी **राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF)** गठित करने का अधिकार देता है, जिससे बढ़ती शहरी आपदा संवेदनशीलताओं का समाधान किया जा सके।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/national-crisis-management-committee